

पत्रसंख्या : एनआरएचएम / सच / 15/2008/ ५४२६ ९ दिनांक : २२ दिसम्बर ०८

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में विनिहत 18 जनपदों में “स्कीम फॉर एडेलेसेन्ट काउन्सिलिंग फॉर हेल्थ—सच” लागू की जानी है। योजना के अन्तर्गत जनपदों में विभिन्न स्तरों पर सच केन्द्र स्थापित किये जाने हैं, जिसमें किशोर एवं किशोरियों को पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य (आर०टी०आई०/ एस०टी०आई०, एड्स आदि) सम्बन्धी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हो सकें। उक्त केन्द्र जनपद मुख्यालय, विनिहत जनपदीय एफ०आर०यू० एवं उपकेन्द्र स्तरीय ग्रामों तथा नगरीय मण्डिल बरितियों पर स्थापित किये जाने हैं। जनपद स्तर पर कार्यक्रम के सम्बन्धित क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि हेतु निम्न समिति गठित की जा रही है : –

जनपदीय अन्तर्विभागीय समन्वय ग्रुप (District Inter departmental coordination group-DICG) का गठन

अध्यक्ष	– जिलाधिकारी
सदस्य	<ul style="list-style-type: none">– मुख्य चिकित्सा अधिकारी– वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी– जनपदीय परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०– जनपदीय प्रतिनिधि—एन.वाई.के.एस. एवं युवक मंगल दल– जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग– प्रतिनिधि—महिला समाज्या/प्रतिनिधि स्थानीय एन०जी०ओ०– कार्यक्रम अधिकारी, झूड़ा– परियोजना प्रबंधक, स्वयंसेवी संस्था जो कि कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी।
सदस्य सचिव	<ul style="list-style-type: none">– नोडल अधिकारी—किशोर स्वास्थ्य, अपर/उप मुँहिं० अधिकारी

उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जानी है।

(राजीव कपूर)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या : एनआरएचएम / सच / 15/2008/

तददिनांक

प्रतिलिपि : समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, किशोर स्वास्थ्य को इस निर्देश के साथ कि कार्यालय ज्ञाप की प्रति समन्वय ग्रुप के अध्यक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा प्रथम बैठक आयोजित किये जाने हेतु अध्यक्ष से तिथि एवं समय निर्धारित कराना चाहें।

(राजीव कपूर)
मिशन निदेशक